(6क)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 219/2013

दायर दिनांक–15–10–2013

1 प्रताप सिंह पुत्र दुल्लाराम जाति दरोगा निवासी भोपत पुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 रामधन सिंह पुत्र दुल्लाराम जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुन।

– वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
2. देवकरण सिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
3. मखनलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
4. तुलसी देवी पत्नी रामेश्वर जाति जाट निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
5. श्रवण सिंह पुत्र भगवाना जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
6. गंगाकवंर पुत्री भगवाना जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
7. विमला कंवर पुत्री भगवाना जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
8. रिसाल कंवर पत्नी भगवाना जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
9. मगना पुत्र नारायण जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज॰)
10. राजू पुत्र नारायण जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज॰)
11. रणजीत पुत्र नारायण जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
12. रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
13. बजरंग पुत्र गिरधारी जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
14. प्रहलाद पुत्र गिरधारी जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
15. पृथ्वी सिंह पुत्र गिरधारी जाति दरोगा निवासी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
16. जगमाल सिंह पुत्र गिरधारी जाति दरोगा निवासी [illegible] परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
17. इन्द्राज सिंह पुत्र श्री दुल्लाराम जाति दरोगा निवासी [illegible] परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ झुन्झुनूं
18. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नवलगढ़ ज[illegible] शाखा प्रबन्धक
19. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बसावा जरीए शाखा प्रबन्धक
20. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज॰)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील प्रति॰ नं॰ :– श्री सज्जन कुमार चाहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:46 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

(70)

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड एवं विभाजन
अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक–23.09.2022

वाद में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– तहसीलदार नवलगढ से विभाजन प्रस्ताव पत्रांक/भू0अ0/2006 दिनांक 26.08.2022 के द्वारा प्राप्त होने पर वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र ऐतराज विभाजन प्रस्ताव इस कदर पेश किया कि उनवानी प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव गलत पेश किया है विभाजन प्रस्ताव मे प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का राजस्व रिकार्ड में रकबा 2.95 हैक्अर हिस्सा दर्ज जबकि विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 2466 रकबा 2.95 हैक्टर खसरा नम्बर 2467 रकबा 2.93 हैक्टर खसरा नम्बर 2479 रकबा 1.65 हैक्टर में से प्रार्थी प्रतिवादीगण का हिस्सा 2.95 हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव आना चाहिए था।

प्रतिवादी नम्बर 04 कि मृत्यु दावे दौराने हुई है जिसमें प्रतिवदी नम्बर 04 के कायम मुकाम वाद पत्र पेश नही किये है। प्रतिवादी नम्बर 04 के वारिसों को कायम मुकाम बनाकर पक्षकार बनाना चाहिए था। वाद–पत्र में प्रतिवादी नम्बर 04 के कायम मुकाम पेश करके पक्षकार बनाये जाये तथा उनको रिकार्ड पर लेकर दुबारा विभाजन प्रस्ताव कि प्राथमिक डिक्री के आदेश किये जाये। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव गलत पेश किया गया है तथा गलत ही प्राथमिक निर्णय पारित किया है जिसको पुनः पारित करने कि कृपा करे।

वकील अप्रार्थी वादी ने प्रार्थना पत्र का जबवा पेश नही कर सीधे ही बहस करना जाहिर करने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 ने दौराने बहस प्रार्थना वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की गई तथा कथन किया गया कि तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव गलत तैयार कर पेश किया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय ही गलत पारित होने से प्राथमिक निर्णय में संशोधन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित होगा।

जवाब बहस में वकील अप्रार्थी वादी ने प्रार्थी के बहस के तथ्यों को विरोध प्रकट किया तथा कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि में हिस्सा 2.95 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 04 का है जिसकी प्राथमिक डिक्री जारी होकर उसमें घोषणा की जा चुकी है। इस स्तर पर आपति नही की जा सकती है। निर्णय के आधार पर ही तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया है। यदि प्रतिवादी को हिस्से पर आपति हो तो अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा वादी का जिसका रकबा 2.92 हैक्टर तथा प्रतिवादी 1 लगायत 04 का हिस्सा 2.92 हैक्टर है। एक परिवार ने विक्रय कर दिया वो अलग से मूल खातेदार है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 04 ने क्रय की है जिसके अनुसार रकबा 2.92 हैक्टर भूमि आती थी उतनी ही खरीदी उसी आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। प्राथमिक निर्णय/डिक्री के समय कोई उज्र नही उठाया है तो विभाजन प्रस्ताव पर आपति उठाये जाने को कोई औचित्य नही रहता है।

वकील अप्रार्थी वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 फौत होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 (10) सीपीसी का पेश कर अंकित किया कि उनवानी प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात् वकील प्रतिवादी द्वारा सूचना दी है कि प्रतिवादी नम्बर 4 की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने कथन किया गया कि यदि प्रतिवादी नम्बर 04 की मृत्यु हो गई थी प्रतिवादी को सूचना करने चाहिए थी जो सूचना नही दी गई जैसे ही सूचना दी गई तो प्रतिवादी नम्बर 04 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किये जा चुके। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि प्रतिवादी नम्बर 04 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित है।

बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होकर घोषणा की जा चुकी है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा वादी का जिसका रकबा 2.92 हैक्टर तथा प्रतिवादी 1 लगायत 04 का हिस्सा 2.92 हैक्टर है। एक परिवार ने विक्रय कर दिया वो अलग से मूल खातेदार है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 04 ने क्रय की है जिसके अनुसार रकबा 2.92 हैक्टर भूमि आती थी उतनी ही खरीदी उसी आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। प्राथमिक निर्णय/डिक्री के समय कोई उज्र नही उठाया है तो विभाजन प्रस्ताव पर आपति उठाये जाने को कोई औचित्य नही रहता है। निर्णयानुसार ही तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा प्राथमिक निर्णय के दौरान कोई उज्र नही उठाया तथा ना ही कोई आपति प्रस्तुत की थी, अब विभाजन प्रस्ताव आने के पश्चात इस स्तर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:46 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.ओ. (न्या.टे.) नवलगढ

आपति नही की जा सकती है। जहां तक प्रतिवादी नम्बर 04 के फौत होने का है जो प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात हुई है इससे निर्णय पर कोई विपरीत प्रभाव नडी पड़ता है। प्रतिवादी नम्बर 04 के स्थान पर उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रतिवादी के हिस्से के भूमि की घोषणा स्वतः ही मृतक के वारिसान के हक हिस्से के अधिकार होते है। विभाजन प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत ऐतराज विभाजन प्रस्ताव एवं पुनः मंगवाये जाने विभाजन प्रस्ताव पोषणीय प्रतीत नही होती है। फलस्वरूप प्रतिवादीगण की आपति खारिज किया जाता है तथा वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2006 दिनांक 26.08.2022 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम भोपतपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2466, 2467, 2479 रकबा क्रमशः 2.95, 2.93, 1.65 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 7.53 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम भोपतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2466/2 रकबा 2.92 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का प्रताप सिंह, रामधन सिह, ईन्द्राज सिंह पिता दुल्लाराम जाति दरोगा साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राहिन प्रताप सिंह का हिस्सा 1/3 राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा परसरामपुरा मुर्तहीन।
2. ग्राम भोपतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2466/1, 2467/2 रकबा क्रमशः 0.0300, 2.8900 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.92 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का महेन्द्र सिंह पिता रामेश्वरलाल, मक्खनलाल पिता रामेश्वरलाल, देवकरण पिता रामेश्वरलाल, तुलसी देवी पत्नी रामेश्वरलाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम भोपतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2479/1 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का श्रवण सिंह पुत्र भगवाना, गंगा कंवर, बिमला कंवर पुत्री भगवाना, रिसाल कंवर पत्नी भगवाना हि.ब., विरेन्द्र सिंह, सम्पतसिंह पिता मगना नन्दूकंवर, विनोद कंवर पुत्री मगना ब.हि.ब., रणजीत, राजू पिता नारायण हि. साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम भोपतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2467/1, 2479/2 रकबा क्रमशः 0.04, 0.07 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–09–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:46 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड एवं विभाजन
अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम डिक्री

मुकदमा सं0:– 219/2013 **प्रताप सिंह आदि – बनाम – महेन्द्र सिंह आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर (आर. ए. एस.)**,सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **23.09.2022** निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम भोपतपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2466, 2467, 2479 रकबा क्रमशः 2.95, 2.93, 1.65 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 7.53 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम भोपतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2466/2 रकबा 2.92 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का प्रताप सिंह, रामधन सिह, ईन्द्राज सिंह पिता दुल्लाराम जाति दरोगा साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राहिन प्रताप सिंह का हिस्सा 1/3 राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा परसरामपुरा मुर्तहीन।
2. ग्राम भोपतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2466/1, 2467/2 रकबा क्रमशः 0.0300, 2.8900 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 2.92 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का महेन्द्र सिंह पिता रामेश्वरलाल, मक्खनलाल पिता रामेश्वरलाल, देवकरण पिता रामेश्वरलाल, तुलसी देवी पत्नी रामेश्वरलाल साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम भोपतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2479/1 रकबा 1.58 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का श्रवण सिंह पुत्र भगवाना, गंगा कंवर, बिमला कंवर पुत्री भगवाना, रिसाल कंवर पत्नी भगवाना हि.ब., विरेन्द्र सिंह, सम्पतसिंह पिता मगना नन्दूकंवर, विनोद कंवर पुत्री मगना ब.हि.ब., रणजीत, राजू पिता नारायण हि. साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम भोपतपुरा की भूमि खसरा नम्बर 2467/1, 2479/2 रकबा क्रमशः 0.04, 0.07 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.11 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति जाट साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। [illegible] बाबत –.......... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद

जन...........–............... मुबलिग............ [illegible] अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बशरह......–.............फीसदी सालना आज की तारीख से [illegible] को जारी की गई।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:46 IST
Reason: SelfAttested

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अ0) नवलगढ़

क्रमांक –भू0 अ0/ 2006 दिनांक – 26/8/22

प्रेषित

ACEM

श्रीमान ~~उपखण्ड अधिकारी~~ महोदय
नवलगढ़।

विषय:–न्यायालय प्रकरण संख्या 219/2013 उनवानी प्रतापसिंह बनाम महेन्द्रसिंह आदि घोषणार्थ व विभाजन प्रस्ताव बाबत।

प्रसंग:– आदेश क्रमांक / भू0अ0 / .... दिनांक ....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मु0न0 219/2013 का आदेशानुसार विभाजन करवाकर विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में प्राप्त कर श्रीमान की सेवामें अग्रीम कार्यवाही बाबत प्रेषित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसीलदार नवलगढ़
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:46 IST
Reason: SelfAttested

L.R.
23/08/2022

(74)

(1)

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

.................(नाम) तहसीलदार नवलगढ़ न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/2022/2410 दिनांक 26.7.22 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 18.8.22 समय 12 बजे आराजी खसरा नम्बर- 2466, 2467, 2479 ग्राम मोपतपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा पर श्री संदीप कुमार शर्मा नायब तहसीलदार / भू. अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ .... में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 319/2013 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 1871...... दिनांक 05.8.22 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	प्रतापसिंह	पिता दुल्लाराम	60	दरोगा	वादी
2.	रामधनसिंह	पिता दुल्लाराम	50	दरोगा	वादी
3.	जगमालसिंह	पिता गिरधारी	61	दरोगा	प्रतिवादी
4.	राजू	पिता नारायण	59	दरोगा	प्रतिवादी
5	रामप्रताप	पि. रामकरण	57	जाट	प्रतिवादी
6.	महेन्द्रसिंह	पि. रमेश्वरलाल	47	जाट	प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रताप सिंह

18-8-22

18-8-22
1 PR

रामधनसिंह

जगमालसिंह

रामप्रताप

राजू

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

उपरोक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव, निर्विवाद रूप व मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किया गया/

मौका के अनुसार नजरी नक्शा —

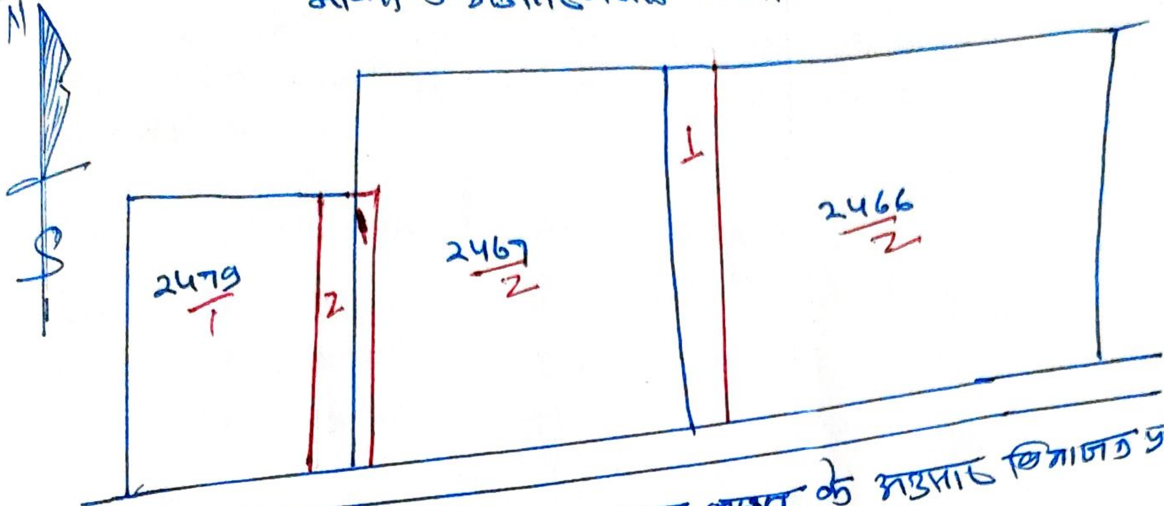

उपरोक्त नजरी नक्शा व मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार किया गया।

क्र.सं.	नाम खातेदार मय वल्दियत	ख.नं.	रकबा	किस्म
1.	प्रतापसिंह, रामचन्द्रसिंह, ईश्वरसिंह पिता तुलसाराम जाति राजपूत साकिन ... प्रतापसिंह ... 1/3 साकिन BRKJB ... पर ...	2466/2	2.92	बारानी
2.	महेन्द्रसिंह पिता रामेश्वरलाल हि. मक्खनलाल पिता रामेश्वरलाल हि. देवकरण पिता रामेश्वरलाल हि. तुलसीदेवी पत्नी रामेश्वरलाल ... साकिन खातेदार	2466/1 2467/2 2	0.0300 2.8900 2.92	बारानी बारानी बारानी
3.	अवतारसिंह पुत्र भगवाना, गंगाकंवर, विमलाकंवर पुत्री भगवाना, रिसालकंवर पत्नी भगवाना हिस्से, विरेन्द्रसिंह, सम्पतसिंह पिता भगवाना, नन्दूकंवर, विनोदकंवर पुत्री भगवाना जरिये रणजीत राजू पिता नारायण हि.	2479/1	1.58	बारानी
4.	रामप्रताप पुत्र रामकरण जाति ...	2467/1 2479/2 2	0.04 0.07 0.11	बारानी बारानी बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रतापसिंह   जगमाल सिंह   18-8-22   18.8.22

राम चन्द्रसिंह   रामप्रतापपुरी

(का.दू.) नवलगढ़

तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़

76

(3)

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
	प्रतापसिंह	पुत्र हरलाराम	दरोगा	[signature]	वादी
	रामधनसिंह	पुत्र हुल्लाराम	दरोगा	रामधनसिंह	वादी
	जगमालसिंह	पुत्र गिरधारी	—	जगमाल सिंह	प्रतिवादी
	राजू	पुत्र नारायण	दरोगा	राजू	प्रतिवादी
	रामप्रताप	पुत्र रामकरण -	जाट	रामप्रताप	प्रतिवादी

...न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
	महेन्द्रसिंह	पुत्र रामेश्वरलाल	47	जाट	प्रतिवादी

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..	
1	विकाश	इन्द्राज सिंह	22	दरोगा	8740016321	[signature]
2	संजीव	हरलाल सिंह	24	जाट	8104637360	[signature]
3	विकास	श्रीचन्द	24	जाट	8426845337	विकास

[illegible]

इस प्रकार आज दिनांक 18-8-22 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर पटवारी 18-8-22

हस्ताक्षर भू अ निरीक्षक 18-8-22

हस्ताक्षर

तहसीलदार (भू.अ.) हस्ताक्षर नवलगढ़

ए.सी.ई.एम. (का. ट्रे.) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:46 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नकल नक्शा ट्रेस
ग्राम - भोपतपुरा
तहसील - नवलगढ

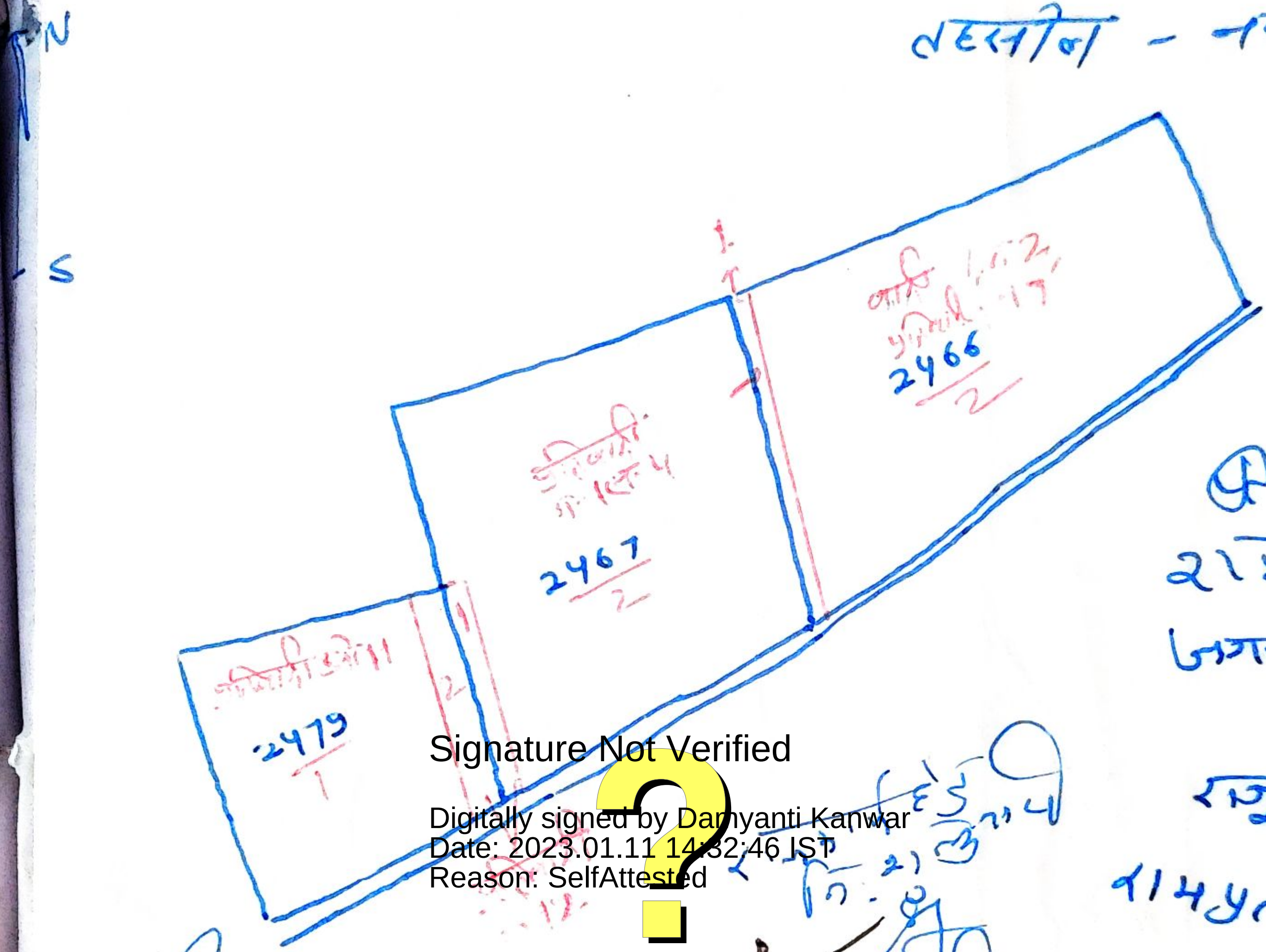

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:32:46 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ

18-8-22

ए.सी.ई.एम. (का. ट्रे.)
नवलगढ